

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 1569 / 2013 / उदयपुर

मैं ० श्री गणपति डिजीटेक,
उदयपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड-द्वितीय, वृत-बी, उदयपुर

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री ईश्वरी लाल वर्मा-सदस्य

उपस्थित :

श्री सी.पी.बाल्दी,
अधिकृत अधिवक्ता

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री डी.पी.ओझा,
उप राजकीय अधिवक्ता

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 01 / 03 / 2016

निर्णय

अपीलार्थी—व्यवसायी द्वारा यह अपील उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर, उदयपुर जिसे आगे “प्रशासनिक अधिकारी” कहा जायेगा, के प्रकरण संख्या 195 / 12-13 / कर / उपा(प्र.)उदय में पारित निर्णय दिनांक 26.04.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-द्वितीय, वृत-बी, उदयपुर जिसे आगे “कर निर्धारण अधिकारी” कहा जायेगा, द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.03.2009 को खोले जाने हेतु, अपीलार्थी द्वारा दिनांक 21.03.2013 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया गया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के वर्ष 2006-07 का कर निर्धारण आदेश पारित करने हेतु जारी किये गये नोटिस की पालना में अपीलार्थी की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने पर अपीलार्थी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे “वेट अधिनियम” कहा जायेगा) की धारा 24(3), 55 व 58 के तहत एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश दिनांक 30.03.2009 पारित करते हुए रु 78,400/- की मांग सृजित की गयी। अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश को खोलकर पुनः कर निर्धारण की स्वीकृति हेतु प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष वेट अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत दिनांक 21.03.2013 को प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को प्रशासनिक अधिकारी ने आदेश दिनांक 26.04.2013 द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। प्रशासनिक अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध, अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि आलौच्य अवधि के कर निर्धारण हेतु कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी को कोई नोटिस ही जारी नहीं किया है। कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली पर आलौच्य अवधि का अपीलार्थी को जारी नोटिस पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, नोटिस तामील होने का प्रमाण भी

उपलब्ध नहीं है। कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी को बिना नोटिस जारी किये ही अपीलार्थी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए, अपीलार्थी के विरुद्ध मांग सृजित की गयी है। अतः पारित किया गया एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश पूर्णतः अविधिक एवं अनुचित है। प्रशासनिक अधिकारी द्वारा भी अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने में भी विधिक त्रुटि की गयी है। अपने तर्क के समर्थन में माननीय राजस्थान कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टान्त मैं ० चौधरी इलेक्ट्रीकल्स, उदयपुर बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-पंचम, वृत्-ब, उदयपुर निर्णय दिनांक 29.04.2013 तथा मैं ० त्रिवेणी बिल्डिंग मैटेरियल एण्ड सेनेटरी सप्लायर्स बनाम उपायुक्त प्रशासन, उदयपुर निर्णय दिनांक 04.02.2015 का हवाला देते हुए अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने प्रशासनिक अधिकारी के अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए, अपीलार्थी व्यवसायी की अपील अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

उभयपक्षीय बहस पर मन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वैट अधिनियम के प्रावधानों का अध्ययन किया गया।

कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 16.02.2009 द्वारा व्यवसायी को वर्ष 2006-07 के कर निर्धारण हेतु सम्मन दिनांक 30.03.2009 के लिए जारी हो लिखा है लेकिन व्यवसायी को नोटिस जारी ही नहीं किया गया है और कर निर्धारण अधिकारी ने अपने एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश दिनांक 30.03.2009 में लिखा है कि बावजूद सम्मन पत्र तामीली के व्यवसायी की ओर से कोई उपस्थित नहीं। चूंकि बावजूद सम्मन पत्र तामीली के व्यवसायी की ओर से पत्रावली में उपलब्ध विवरण/विगत वर्षों के आधार पर व्यवसायी का आलोच्य वर्ष में पण्यार्वत 14,00,000/- मानते हुए कर निर्धारण निम्न प्रकार पारित किया जाता है।

प्रशासनिक अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 26.04.2013 में लिखा है कि "आवेदन पत्र में प्रार्थी फर्म की ओर से यह निवेदन किया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस फर्म से संबंधित कर निर्धारण वर्ष 2006-07 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 30.03.2009 को पारित किया है एवं मांग राशि ₹ 0 78,400/- कायम की गई है। अतः प्रार्थी फर्म को सुनवाई के बाद नये सिरे से गुणावगुणों पर कर निर्धारण आदेश पारित करने हेतु प्रकरण को पुनः खोलने के आदेश दिये जावें। प्रार्थी फर्म द्वारा प्रस्तुत इस आवेदन पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया एवं कर निर्धारण अधिकारी से टिप्पणी आमंत्रित की गई।

कर निर्धारण अधिकारी से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन एवं व्यवसायी की ओर से उपस्थित को सुना गया। उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त आधार पर व्यवसायी को कर निर्धारण हेतु एक सौका दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।"

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रार्थी फर्म का कर निर्धारण आदेश दिनांक 30.03.2009 को एकपक्षीय पारित किया था जिसे पुनः खोलने बाबत अपीलार्थी द्वारा अपील की गई थी जो कि उसकी मांग उचित थी। न्याय का भी यही तकाजा है

कि पक्षकारों को सुनकर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना चाहिये। प्रशासनिक अधिकारी द्वारा आदेश में लिखा गया है कि उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया जो प्रशासनिक अधिकारी का निर्णय सही नहीं है। कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण आदेश में बावजूद सम्मन पत्र तामीली के व्यवसायी की ओर से कोई उपस्थित नहीं लिखा है लेकिन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवसायी को नोटिस ही जारी नहीं किया गया है, जब नोटिस ही जारी नहीं हुआ है तो नोटिस तामील किस प्रकार होगा। अपीलार्थी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन पत्र प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष पेश किया, जो खोले जाने योग्य था लेकिन प्रशासनिक अधिकारी ने उक्त आधारों के समुचित कारण नहीं बताते हुए आवेदन अस्वीकार किया, जिसे विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है। इस कारण प्रशासनिक अधिकारी के निर्णय दिनांक 26.04.2013 को अपास्त कर, प्रकरण पुनः कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलार्थी व्यवसायी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसार विधिक आदेश पारित करें। अपीलार्थी व्यवसायी को भी निर्देशित किया जाता है कि वह दिनांक 21.04.2016 को कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष, समस्त संबंधित रेकार्ड सहित उपस्थित होकर, अपना पक्ष प्रस्तुत करे तथा कर निर्धारण अधिकारी नियमानुसार प्रकरण का निष्पादन करे।

फलतः अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण उपरोक्त निर्देशों के साथ पुनः सुनवाई हेतु, कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।



15-3-2016

(ईश्वरी लाल वर्मा)

सदस्य